न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 32/2014

1. श्री सोहनलाल पुत्र स्व0 काना जी
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 काना जी
3. छगनलाल पुत्र स्व0 काना जी
4. प्रहलाद पुत्र स्व0 काना जी
5. श्रीमति हाफू पत्नि स्व0 काना

उपरोक्त सभी जाति माली समस्त निवासी ग्राम दाना जी की ढाणी खरवा तहसील मूसदा जिला अजमेर राजस्थान। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति विमलादेवी पत्नि श्री पूनमचन्द उर्फ पूनाराम जाति भांबी निवासी 23 निर्मल विहार कॉलोनी देलवाडा रोड ब्यावर।
2. श्रीमान् भूधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मसूदा।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

आदेश **दिनांक 10.06.2017**

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0 न0 944 रक्बा 06 बीघा वाकै मौजा दानाजी की ढाणी पटवार हल्का खरवा प्रथम तहसील मसूदा है। इस पर आने जाने तथा कृषि संबंधी उपकरण ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए ख0 न0 945 के उत्तरी भाग स्थित ख0 न0 945/1 व 945/3 से होकर एक कदिमी रास्ता चला आ रहा था। यह रास्ता खरवा से माधोगढ जाने वाले मुख्य मार्ग जिसके ख0 न0 4393/1138, 4395/1139 व 4394/1139 है से होकर ख0 न0 1136, 1137, व 945 के उत्तरी भाग से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत तक 30 फिट चौडा रास्ता जाता रहा है। यही रास्ता ख0 न0 945/1 के सामने से ख0 न0 936 के पूर्वी भाग से होता हुआ ख0 न0 924 के दक्षिणी भाग से आगे भी जाता है।

अप्रार्थी स0 1 ने जब से भूमि ख0 न0 945/1 रक्बा 9–09–00 बीघा खरीदी है तब से प्रार्थीगण के खेत पर जाने के रास्ते को अवरूद्ध पैदा करने लगे है तथा रास्ते की भूमि पर कमरा बना दिया है और विद्युत ट्रांसफार्मर एवं कमरे के मध्य लोहे का गेट लगा दिया है और प्रार्थीगण को उनके खेत पर जाने से वंचित कर दिया है। प्रार्थीगण ने अपने खेत में टमाटर की फसल बो रखी है जो रास्ते के अभाव में नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अप्रार्थीया 1 से रास्ता खोलने का निवेदन करने पर उसने रास्ता देने से मना कर दिया है। अतः रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0 न0 945/1 में से नियमानुसार शुल्क पर रास्ता दिलवाया जावे तथा कमरा एवं गेट हटवाया जावे जिसकी प्रथक से तरमीम एवं राजस्व अभिलेख में रास्ते का अमल करवाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया स0 1 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत 944 पर जाने के लिए ख0 न0 945/1 व 945/3 से होकर 30 फिट चौडा कोई रास्ता विद्यमान नही है इसलिए कदिमी से आने जाने का प्रश्न ही नही है अपितु प्रार्थीगण के खेत पर जाने का कदिमी रास्ता विद्यमान चला आ रहा है अप्रार्थीगण ने जब से जमीन खरीदी है और उसे उपजाऊ बनाया है तब से प्रार्थीगण नियत खराब हो गई है और वे अप्रार्थी को उसके खेत कृषि करने करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थीगण जो रास्ता बता रहे है वह राजस्व रेकार्ड में भी नही है। ख0 न0 944 पर जाने हेतु पहले से एक कदिमी रास्ता ख0 न0 945/2 से पगडड़ी के रूप में विद्यमान है। जिसे स्वयं प्रार्थीगण ने पत्थर आदि डलवा कर अवरूद्ध कर दिया है और दुर्भावना से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण अप्रार्थिया से कभी नही मिले। पहले से जब रास्ता मौजूद है तो दूसरों के खेत से रास्ता निकालने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रकरण मयाद बाहर है तथा झुठे तथ्यों पर लाया गया है इसके द्वारा चाहा गया अनुतोष कानूनन नही दिलाया जा सकता प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया को हेरान परेशान करने की नियत से यह झुठे कथनों पर लाया गया है जो निरस्तनीय है अतः निरस्त किया जावे।

तहसीलदार मसूदा ने मौके की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार ख0 न0 945/1 व 945/3 मे से 30 फिट के बजाय 15 फिट चौडा रास्ता जो पश्चिम से पूर्व की और आकर वादीगण के खेत ख0 न0 944 में जाता है यही रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है। मौके अनुसार ख0 न0 945/1 में स्टोर रूम व ट्यूबबेल को छोड़ कर समीप में 15 फिट लगते हुए रास्ते का माप (155x15+15x15) = 2550 वर्ग फिट भूमि यानि 0–02–19 भूमि प्रस्तावित है ख0 न0 945/1 की खातेदारी श्रीमति विमलादेवी ने नक्शे में दर्शित स्थल पर वर्तमान में लोहे का गेट लगाये एवं स्टोर रूम बनवाया है। लोहे का गेट हटाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना संभव है।

मैने विव्दान अभिभाषकगण उभयपक्षान की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थी वकील के तर्क रहे कि हमारा रास्ता कदिमी चला आ रहा था अप्रर्थिया विमलादेवी ने खेत ख0 न0 945/1 खरीदने के बाद हमारे रास्ते पर गेट लगाकर उसे बंद कर दिया है हमारे सुखाचार को रोक दिया है। अतः गेट हटवा कर हमारा रास्ता कायम करवाया जावे। जहां तक नक्शे में रास्ता न होने का प्रश्न है एसे कदिमी रास्ते बिना अभिलेख में होते हुए लोग उपयोग उपभोग करते रहे है और हम भी हमारे रास्ते का इसी प्रकार उपभोग करते आये है अतः अप्रार्थिया का गेट हटवा कर हमारा रास्ता पुनः कायम कर नियमानुसार शुल्क पर हमे रास्ता दिलवाया जावे जो विधिनुसार हम पाने के अधिकारी है।

अप्रार्थिया के अभिभाषक ने तर्क दिये कि जब रास्ता था ही नही प्रार्थीगण का रास्ता ख0 न0 945/2 में आज भी विद्यमान है। मैने अपने खेतो की सुरक्षा के लिए गेट लगवाया है तथा चार दिवारी करवाई है जो मेरे अधिकार में है। राजस्व अभिलेख में कोई

रास्ता नही है मुझे हेरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र लाया गया है जिसे सव्यय निरस्त किया जावे।

मैने प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र के तथा बहस मौखिक तर्को के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया तो तहसीलदार द्वारा करवाई गई जांच के अनुसार ख0 न0 945/1 व 945/3 से 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के खेत ख0 न0 944 में जो पश्चिम से पूर्व की और आता है। अलावा इसके उभयपक्षान के तर्क विर्तक से भी प्रार्थीगण अपने सुखाचार के तहत इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आये है अप्रार्थियाने हाल ही में ख0 न0 945/1 की आराजी को खरीदने के बाद इस मार्ग पर गेट लगा कर प्रार्थीगण के सुखाचार को समाप्त करने की चेष्टा की है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

आदेश

ग्राम खरवा से माधोगढ जाने वाले मुख्य मार्ग के तिराहे वाकै दानाजी की दाणी (खरवा प्रथम) से ख0 न0 4393/1138 व 4395/1139 तथा 4394/1139 से प्रारंम्भ होकर जो रास्ता ख0 न0 1136 व 1137 व 945/3 तथा 945/1 की उत्तरी दिशा से होते हुए प्रार्थी के खेत ख0 न0 944 और आगे ख0 न0 936, 924 व 938 से आगे जाता आया है यह प्रार्थीगण एवं अन्य काश्तकारान के सुखाचार के अधिकार के तहत उपयोग उपभोग में रहा है जिसे अप्रार्थिया स01 ने हाल ही में ख0 न0 945/1 की आराजी खरीदने के बाद लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया है और प्रार्थीगण सहित अन्य खातेदारान को रास्ते के सुखाचार से वंचित कर दिया है अतः अप्रार्थियां विमलादेवी द्वारा ख0 न0 945/1 से गुजरने वाले आम रास्ते पर हाल में लगाये लोहे के गेट को हटाये जाने के आदेश पारित किये जाते है गेट अन्दर मयाद एक हफ्ता स्वयं अप्रार्थिया हटा लेवे अन्यथा सरकारी खर्चे पर लोहे का गेट हटवा कर जप्त सरकार कर लिया जावेगा जिसका खर्च अप्रार्थिया स0 1 पर रहेगा प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 2550 वर्गफिट का DLCरेट प्रतिवर्ग फिट की दर से रु 15953की दुगनी राशि रु 31906/– पर प्रस्तावित मार्ग ख0 न0 1136, 1137, 945/1 व 945/3 से होकर नक्शे में पृथक से तरमीम करने तथा राजस्व जमाबंदी में इस आराजी को रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

आदेश आज दिनांक 10.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:20:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: